असंगठित से संगठित
पंजीकरण संख्या – 03057/2025–26
श्रम का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान
कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति
(नीति आयोग, भारत सरकार की दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत)

द्वारा जनहितकारी योजनाओं, कार्यक्रमों की निःशुल्क जानकारी देने एवं आवेदन करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किये जाने वाले **यशस्वी भवः श्रम श्री केन्द्र** का विवरण

यशस्वी भवः श्रम श्री केन्द्र के स्थापना का मुख्य उद्देश्य शिक्षारत विद्यार्थियों, ग्रामीण समुदायों व श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण हेतु कार्य करना, उनकी आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सहायता प्रदान कर बढ़ावा देना और उन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराना एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित करना है। इन केन्द्रों के माध्यम से श्रमिकों को योग्यता के अनुसार रोजगार की जानकारी देना, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के अधीन श्रमिकों के कल्याण हेतु गठित विभिन्न श्रम बोर्डों में नया पंजीकरण, योजनाओं का लाभ लेने हेतु पंजीकरण, कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित करना, रोजगार के स्थापना में सहायता तथा कानूनी सहायता प्रदान करने के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाती है। असंगठित क्षेत्र के कार्यों में लिप्त असंगठित श्रमिकों के साथ विभिन्न प्रकार के लाभार्थियों एवं श्रमिकों का डेटाबेस बनाना, श्रमिकों से जुड़े विवादों का समाधान अनुभवी कानूनविदों के माध्यम से कराना और श्रमिकों को विभिन्न रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना शामिल है। केन्द्र के माध्यम से शिक्षा से जुड़े हुए कई कार्यक्रमों का विद्यालयों के माध्यम से संचालन करना हैं। प्रतियोगियों के लिए ऑनलाईन शिक्षा का माध्यम उपलब्ध कराना हैं।

यशस्वी भवः श्रम श्री केन्द्र के स्थापना का उद्देश्य–

श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देना– श्रमिकों के आर्थिक, सामाजिक कल्याण के अधिकार को सुरक्षित करना और उनके जीवन जीने की वर्तमान स्थिति में सभ्य समाज के आकलन के अनुसार क्रमशः सुधारात्मक कार्यक्रम संचालित करना।

सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना– श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और लाभों तक पहुंच प्रदान करना, जैसे कि पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं और वित्तीय सहायता आदि।

जानकारी और सहायता प्रदान करना– श्रमिकों को उनके अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी देना और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना।

आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने का कार्य– केन्द्र के माध्यम से सभी श्रमिकों को एवं उनके परिवार के सदस्यों को सभी प्रकार के ऑनलाईन कार्य कराने हेतु निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु उन्हें समिति की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होगा। सदस्यता का महत्व इसलिए रेखांकित किया गया है, ताकि समिति को यह ज्ञात हो सके कि समिति द्वारा कितने जरूरतमंद लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जा सका हैं। समिति के इस कार्य से प्रत्येक लाभार्थी को वार्षिक रूप से कम से कम तीन हजार रूपये की बचत होगी, जिस धनराशि का उपयोग वह अपने अन्य कार्य में कर सकेंगे और इसके साथ ही उन्हें अपने श्रमिक संबंधी लाभों को लेने के लिए स्थायी केन्द्र प्राप्त हो सकेगा।

शिक्षा सहायता– समिति के सदस्यों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्रवृत्ति देना, पुस्तकालय की स्थापना करना, यशस्वी भवः परामर्श कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इच्छुक शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षण संस्थानों की जानकारी देना, नामांकन में सहायता प्रदान करना सहित अन्य शिक्षा संबंधी कार्य संचालित होगा। प्रतियोगी छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित व संचालित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना।

केन्द्र स्थापनाकर्ता का नाम– **कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति, लखनऊ।**

केन्द्र का नाम– **यशस्वी भवः श्रम श्री केन्द्र,**

केन्द्र का पता–

केन्द्र संचालक का नाम–

केन्द्र संचालक का पता–

केन्द्र का संपर्क सूत्र–

यशस्वी भवः श्रम श्री केन्द्र पर कियान्वयन किये जाने वाले कार्य–

जागरूकता एवं पंजीयन शिविर का आयोजन– प्रत्येक केन्द्र संचालक के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में ग्राम स्तर पर आम जनमानस को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जागरूकता एवं पंजीयन शिविरों का आयोजन करना होगा। शिविर के माध्यम से श्रमिकों को श्रम विभाग के अधीन संचालित विभिन्न बोर्डों मे नये श्रमिक के रूप में पंजीकरण, योजनाओं के लाभ हेतु पंजीकरण, श्रम विभाग एवं अन्य विभागों की योजनाओं, शिक्षण कार्यक्रमों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने सहित अन्य कार्य संचालित किये जायेंगे।

कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन– श्रमिकों के लाभ के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ लेने हेतु आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान करना और उनके वितरण हेतु उपलब्ध प्रक्रिया का अनुश्रवण करना।

रोजगार और कौशल विकास– योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार हेतु रोजगार के विभिन्न माध्यमों की जानकारी उपलब्ध कराना, रोजगार हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने के अवसर की जानकारी उपलब्ध कराना और कौशल विकास प्रशिक्षण के अवसरों को सुविधाजनक बनाना, ताकि श्रमिकों को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।

श्रमिकों का डेटाबेस– प्रभावी नीति कार्यान्वयन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों में लिप्त श्रमिकों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना और उसे अद्यतन करना।

वित्तीय सहायता– श्रमिकों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न वित्तीय योजनाओं, जैसे मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सहित अन्य ऋण व अनुदानित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना, ताकि योजनाओं से प्राप्त धनराशि से श्रमिक अपना खुद का स्व–रोजगार स्थापित कर अपने जीवन स्तर का ऊचाई दिला सके।

जागरूकता अभियान– ग्रामीण समुदायों, शिक्षार्थियों एवं श्रमिकों के अधिकारों और उपलब्ध योजनाओं के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए सेमिनार, कार्यशाला और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना।

श्रमिक विवाद समाधान– श्रमिकों और प्रबंधन के बीच सामंजस्य स्थापित करना और उनके बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान अनुभवी कानूनविदों के माध्यम से कराना। बुजुर्गो, बच्चों, पीडित महिलाओं को टेली कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।

केन्द्र की बनावट– केन्द्र पर बैनर, बुकलेट, पम्फलेट, बोर्ड आदि का डिजायन समिति के द्वारा तय कर उपलब्ध कराया जायेगा, आवश्यकतानुसार बदलाव किया जायेगा।

स्वास्थ्य सेवा– आमजन को निजी क्षेत्र में स्थापित चिकित्सालयों में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का लाभ प्रदान करने के उद्‌देश्य से समिति द्वारा सदस्यता अनुदान के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जायेगा, कार्ड के माध्यम से संबंधित लाभार्थी को स्वास्थ्य जांच, दवा खरीद एवं चिकित्सीय सलाह संबंधी शुल्क पर अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। आंख संबंधी समस्त जांचों हेतु विशेष शिविर का आयोजन कर जांच एवं जांचोपरान्त चश्मा उपलब्ध कराया जायेगा।

शिक्षा सेवा– केन्द्र के आंकलन के आधार पर उचित एवं सुरक्षित स्थान पर प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले, अन्य शिक्षा के आयामों से जुड़े हुए छात्रों के लिए न्यूनतम अनुदान पर **यशस्वी भवः पुस्तकालय** की स्थापना करना, छात्रवृत्ति वितरण करना, **यशस्वी भवः परामर्श कार्यक्रम** के अंतर्गत उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु उच्च शैक्षणिक संस्थानों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराकर परामर्श के उपरांत नामांकन आदि में सहायता प्रदान करना। उच्च प्रतिष्ठित संस्थाओं की शिक्षार्थी के कल्याण हेतु जारी कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।

अनुदान कार्य– समिति द्वारा स्वयं एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं को नियमों के अनुसार अनुदान प्रदान करने वाली योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना, अनुदान हेतु आवेदन–पत्र भरने में सहायता प्रदान करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने में सहायता प्रदान करने सहित अन्य कार्य संपादित करना।

कला सेवा– समिति द्वारा ऐसे संस्थानों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित किया जायेगा, जो कि प्रत्येक वर्ष विभिन्न महापुरूषों की जयंती, पुण्यतिथि सहित राष्ट्रीय महत्व के पारंपरिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, उन्हें आयोजन हेतु पूर्ण कार्यक्रम में प्रशिक्षित कलाकार उपलब्ध कराने, डाक्यूमेन्ट्री वीडियों, पुस्तकें, कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करने संबंधी समस्त सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

केन्द्र पर लिया जाने वाला सदस्यता एवं सेवा शुल्क– प्रत्येक **यशस्वी भवः श्रम श्री केन्द्र** पर लाभार्थी से सदस्यता एवं सेवा शुल्क के रूप में समिति द्वारा तय अनुदान राशि ही ली जायेगी। अगर किसी भी केन्द्र पर निर्धारित अनुदान राशि से अधिक ली जाने की शिकायत प्रमाण के साथ प्राप्त होती हैं तो उस केन्द्र संचालक पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए केन्द्र का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं जमा सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी।

संस्थान द्वारा निर्धारित सेवा एवं सदस्यता शुल्क– समिति द्वारा संचालित कार्यक्रमों से जुड़ने एवं उससे लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संस्थान की सदस्यता लेनी अनिवार्य होगी। उन्हीं सदस्यों को लाभ प्रदान किया जायेगा, जिनकी सदस्यता न्यूनतम 06 माह पूर्व में प्रदान की गई हो। प्रत्येक लाभार्थी द्वारा प्रत्येक कार्य हेतु समिति द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क देय होगा। प्रत्येक लाभार्थी को समिति द्वारा संचालित कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रथम बार सदस्यता शुल्क एवं प्रत्येक वर्ष सदस्यता नवीनीकरण शुल्क का भुगतान समिति के कार्यक्रमों को संचालन हेतु अनुदान के रूप में देना अनिवार्य होगा। यह नवीनीकरण सदस्यता समाप्त की तिथि से 15 दिन के पश्चात् तक ही मान्य होगा, अगर किसी भी सदस्य द्वारा 15 दिन के पश्चात् नवीनीकरण कराने हेतु आवेदन किया जाता है, तो उसका नवीनीकरण नहीं मान्य होगा। अगर कोई छात्र सदस्यता ग्रहण करता हैं तो उस दशा में उसके माता या पिता के नाम से अनुदान राशि ग्रहण की जायेगी एवं छात्र को उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएं निःशुल्क होंगी।

यशस्वी भवः श्रम श्री केन्द्र के सदस्यता का प्रमाण एवं लाभ लेने हेतु अधिकृत– प्रत्येक लाभार्थी को सदस्यता के उपरान्त एक सदस्यता संख्या एवं कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके माध्यम से लाभार्थी संस्थान द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ ले सकेगा।

यशस्वी भवः श्रम श्री केन्द्र पर लाभार्थियों हेतु उपलब्ध सुविधाएं– 24 घंटा संचालित होने वाले केन्द्र पर आने वाले लाभार्थियों के लिए बैठने योग्य आरामदेह कुर्सी, वातानुकुलित 10 बेड़ का कक्ष पुरूष एवं 05 बेड महिला कामगार के लिए, स्वच्छ पीने योग्य जल, समाचार सामग्री, योजनाओं की जानकारी हेतु बुकलेट, सरकार के कार्यक्रमों एवं संस्थान के कार्यक्रमों का सूचनापट्ट, इन्टरनेट सुविधा, ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की सुविधा, पैसा ट्रान्सफर करने,

रेल व बस की टिकट बुक करने की सुविधा, प्रत्येक माह आधार कार्ड सुधार करने हेतु शिविर, ऑनलाईन शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, तकनीकी प्रशिक्षण सहित अन्य सुविधाएं सदस्यता के उपरांत उपलब्ध होंगी।

यशस्वी भवः श्रम श्री केन्द्र के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार के अवसर– समिति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादक एवं सेवा प्रतिष्ठानों से सम्पर्क स्थापित कर उनके कार्ययोजना के अनुसार इच्छुक, योग्य व प्रशिक्षित लाभार्थियों को रोजगार एवं स्वा–रोजागर करने हेतु अवसर प्रदान कराया जाना। इसके साथ ही इच्छुक व्यक्ति समिति के रोजगार के अवसरों का लाभ उठाकर विभिन्न पदों पर कार्य कर सकता हैं। स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित एवं योग्य अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा संचालित अनुदान सहित ऋण योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराकर उससे जोड़ना एवं लाभ दिलाने में कागजात आदि तैयार कराने में सहायता उपलब्ध कराना।

कार्य का लक्ष्य– प्रत्येक केन्द्र संचालक एवं सेवा सहायक को प्रतिमाह लगभग 1500 कामगारों को वार्षिक सदस्यता दिलाना अनिवार्य होगा एवं शिविर के माध्यम से नये कामगारों एवं योजनाओं में लाभार्थी का पंजीकरण का मासिक लक्ष्य 3000 निर्धारित किया गया है। यह सदस्यता कामगारों के नये पंजीकरण एवं योजनाओं के लाभ हेतु पूर्व से पंजीकृत कामगारों का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जाना सम्मिलित होगा। अगर किसी केन्द्र संचालक द्वारा समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जाता हैं तो उनको भुगतान किये जाने वाले मासिक सहायता में से कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

केन्द्र पर अनैतिक कार्य एवं भ्रष्टाचार करने की दशा में अधिरोपित किये जाने वाले दण्ड, जुर्माना राशि आदि का विवरण– अगर किसी भी केन्द्र संचालक या समिति के कर्मियों द्वारा किसी भी लाभार्थी से समिति द्वारा निर्धारित सुविधा शुल्क से अधिक शुल्क लिया जाना प्रमाणित होता हैं, उनके विरूद्व केन्द्र के निरस्तीकरण, सुरक्षा राशि जब्तीकरण, सेवा से मुक्त किये जाने सहित अन्य नियमों में निर्धारित कार्यवाही की जायेगी।

केन्द्र का संचालन– केन्द्र के माध्यम से कामगारों का श्रम विभाग के बोर्ड व परिषद में लाभार्थी के रूप में नया पंजीकरण एवं योजनाओं के लाभ हेतु पूर्ण योग्य कामगारों का आवेदन पत्र पंजीकरण कामगार सामाजिक कल्याण समिति द्वारा शासकीय संस्थाओं द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अवलोकन में कराया जायेगा।

लाभार्थी को योजनाओं का लाभ– चूंकि समिति एक गैर सरकारी संस्थान के रूप में समाज के हित के लिए कार्य संचालन करता है। समिति द्वारा उन्हीं योजनाओं में पंजीकरण या अन्य सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जो कि सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित हैं। इसके साथ ही समिति के किसी भी कार्यक्रम में, शिविर में या किसी भी प्रतिनिधि द्वारा किसी भी योजना के लाभ दिलाने की पूर्ण सुरक्षा या भरोसा नहीं दिया जायेगा। हमारा उद्देश्य केवल उचित लाभार्थी को उनके लिए संचालित योजनाओं की निःशुल्क जानकारी देना एवं आवेदन करने में सहायता करना मात्र हैं। अगर किसी भी प्रतिनिधि द्वारा लाभ दिलाने का भरोसा दिया जाते हुए पाया जाता हैं उनकी सेवा समाप्त करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही करायी जायेगी।

केन्द्र के संचालन हेतु वित्तीय स्त्रोत– केन्द्र का संचालन समिति के द्वारा कामगारों, समुदाय के निवासियों एवं शिक्षार्थियों के कल्याणार्थ किया जाना है। केन्द्र संचालन हेतु समिति के सदस्यों, पदाधिकारियों, समाज के वरिष्ठजनों, समिति की सदस्यता एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान से किया जायेगा। यह पूर्णतया निजी सेवा क्षेत्र का कार्यक्रम हैं।

सरकारी प्रतीक चिन्ह का उपयोग– चूंकि समिति एक गैर सरकारी संस्थान के रूप में पंजीकृत सामाजिक सेवा संस्था है और समाज के वंचित वर्ग के कल्याण हेतु कार्य कर रही हैं, जिन्हें सरकारी योजनाओं में पूर्ण हिस्सेदारी नहीं प्राप्त हो रही हैं। जिसमें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों आदि के संबंध में निःशुल्क प्रचार–प्रसार का कार्य करती हैं, तो आमजन को जागरूक करने हेतु केवल प्रतीक के रूप में सरकारी चिन्हों का उपयोग करती हैं, जिसका उद्देश्य केवल आमजन को सरकार के कार्यक्रमों को प्रतीक चिन्हों के माध्यम से अवगत कराना हैं।

निर्णय– समिति के अध्यक्ष को किसी भी केन्द्र के निरस्तीकरण एवं कर्मियों की सेवा समाप्ति करने, वित्तीय सहायता रोकने के अधिकार का अधिकार पूर्ण सुरक्षित हैं। अध्यक्ष के अधीन ही सभी निर्णय सुरक्षित होगा।

सम्पर्क हेतु विवरण–

कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति,

पता– 65/037, रामपाल अधिकारी मार्ग, लालकुआं वार्ड, नजदीक छितवांपुर पुलिस चौकी, लखनऊ–226001,,

किसी भी जानकारी के लिए मो0– 7311169553 पर व्हॉट्सअप मैसेज करें या नीचे लिखे गये ई–मेल पर मेल करें या वेबसाईट पर खोजें–

ई मेल– samajiksurkshasamiti@gmail.com

आवेदन पत्र हेतु लिंक– www.ksksociety.com

यशस्वी भवः श्रम श्री केन्द्र पर लिया जाने वाला शुल्क विवरण–

1–	वार्षिक सदस्यता अनुदान–	रू0 50/–(केवल सामान्य लाभार्थियों हेतु)
		रू0 10,000/–(विशिष्ट सदस्यता, प्रतिवर्ष)
		रू0 11,000/–(आजीवन सदस्यता)
2–	सदस्यता नवीनीकरण अनुदान–	रू0 30/–(प्रत्येक वर्ष)
3–	सेवा अनुदान–	रू0 10/–(प्रत्येक कार्य हेतु)

यशस्वी भवः श्रम श्री केन्द्र पर उपलब्ध सेवाओं का विवरण–

1– लाभार्थी का लाभपरक योजनाओं में सदस्यता के उपरान्त निःशुल्क पंजीकरण।

2– लाभार्थी को श्रम विभाग एवं अन्य विभागों की योजनाओं की पूर्ण जानकारी केन्द्र पर उपलब्ध कराना एवं पंजीकरण कराना।

3– लाभार्थियों की जागरूकता हेतु शिविरों, कार्यक्रमों, पम्फलेट वितरण, प्रचार वाहन द्वारा भ्रमण कराना, जानकारी हेतु वेबसाईट, सोशल मीडिया, मैसेज, सामूहिक पत्राचार(ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, समाजसेवी कार्यकर्ताओं आदि) आदि माध्यमों से करना।

4– युवक एवं युवतियों हेतु रोजगार एवं स्वरोजगार का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं से सम्पर्क कर उन्हें योग्यतानुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

5– ऐसे शिक्षार्थी जिन्हें उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न आयामों की शिक्षा उपलब्ध कराने वाले शिक्षण संस्थानों में शुल्क, प्रवेश का माध्यम, नामांकन, नामांकन हेतु आवश्यक अभिलेख, हॉस्टल सहित अन्य जानकारी प्राप्त करनी होगी, उन्हें समस्त जानकारी प्रमाणिकता के आधार पर उपलब्ध कराना। समिति के माध्यम से नामांकन कराने की दशा में निर्धारित शुल्क में अतिरिक्त छूट एवं नामांकन प्रक्रिया में अभिलेख तैयार कराने सहित अन्य कार्य कराने का कार्य, इस हेतु किसी भी लाभार्थी को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

6– कामगारों को केवल श्रम कानूनों संबंधी मामलों में कानूनी सहायता उपलब्ध।

7– सीएससी(आईटी मंत्रालय, भारत सरकार) के माध्यम से विभिन्न सेवाओं का संचालन।

8– सभी केन्द्रों पर संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क बैनर के माध्यम से प्रदर्शित किये जायेंगे, ताकि किसी लाभार्थी से अधिक शुल्क का भुगतान नहीं कराया जा सके।

9— केन्द्र के माध्यम से कृषि कामगारों या अन्य कामगारों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं उत्पादों के विक्रय हेतु उचित बाजार की जानकारी प्रदान करना।

10— ऐसे केन्द्र जो औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित हैं और वह क्षेत्र 24 घंटे कार्य करने हेतु खुला हुआ रहता हैं, ऐसे क्षेत्र में स्थापित केन्द्र का संचालन 24 घंटे किया जायेगा। जो केन्द्र 24 घंटे खुला रहेगा उन केन्द्रों पर कामगारों के लिए निम्न कर्मी, सुविधाएं उपलब्ध होंगी—

10.1— केन्द्र के संचालन के लिए आवश्यक 01 शिक्षक(पुरूष) 01 शिक्षिका(महिला), 02 सेवा सहायक, 02 आया, 02 सफाई कर्मचारी, 01 सुरक्षाकर्मी(केवल रात्रि के लिए) होंगे, जो कि नियत मासिक मानदेय पर नियुक्त किये जायेंगे।

10.2— केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं का लाभ वहीं कामगार उठा पायेंगे, जो कि पूर्व में ही समिति की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक बार कामगार को सदस्यता कार्ड दिखाना या सदस्यता संख्या बताना अनिवार्य होगा।

10.3—केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं हेतु देय भुगतान का विवरण—

10.3.1— योजनाओं, नौकरियों के आवेदन पत्र संबंधी कार्य, आधार, पैन, वोटर कार्ड व अन्य कार्ड बनवाने, सुधार कराने, छात्रवृत्ति का आवेदन, ऑनलाईन पैसा ट्रान्सफर व अन्य ऑनलाईन कार्य हेतु— रू0 10/— प्रति कार्य। (उपरोक्त शुल्क कम्प्यूटर के उपयोग हेतु हैं, आवेदन पत्र में संबंधित संस्थान द्वारा कोई शुल्क लिया जाता हैं तो जितना शुल्क कटेगा, उसका भुगतान संबंधित आवेदक को करना होगा)

10.3.2— फोटोकॉपी— रू0 01/—

10.3.3— स्वच्छ पेयजल— निःशुल्क।

10.3.4— शौचालय— रू0 05/—

10.3.5— स्नानघर— रू0 10/—

10.3.6— प्रति 04 घंटे विश्राम हेतु बेड़— रू0 20/— प्रति 04 घंटे।

10.3.7— अल्पाहार की सेवा— रू0 25/— प्रति आहार।

10.3.8— वाहन की सेवा—केवल रात्रि में।(मूल्य प्रति किमी एवं वाहन की उपलब्धता पर)।

10.3.9— घरेलु उपयोग में आने वाले स्वदेशी उत्पाद न्यूनतम मूल्य पर।

10.3.10— छोटे बच्चों के लिए शिशुगृह, बालवाड़ी— रू0 200/— प्रति माह।

10.3.11— आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं— निःशुल्क। (डॉक्टर के परामर्श अनुसार)

10.3.12— कम्प्यूटर एवं ऑनलाईन शिक्षण सामग्री एवं कोचिंग— निर्धारित शुल्क।

10.3.13— ऐसी संस्थाएं जो अनुदान कार्यक्रम की जानकारी एवं आवेदन में सहायता चाहती हैं, उन्हें जानकारी एवं आवेदन हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने आदि में सहायता करना।

11— निजी चिकित्सालयों हेतु स्वास्थ्य कार्ड— रू0 50/— प्रति कार्ड, प्रत्येक सदस्य हेतु। स्वास्थ्य कार्ड धारक को समिति के साथ अनुबंधित चिकित्सालयों में परामर्श शुल्क, जांच एवं दवाओं की खरीद पर 15 से 30 प्रतिशत की छूट उपलब्ध होगी।

12— ऐसे शैक्षिक क्षेत्र जहां पर अधिक संख्या में शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोचिंग, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अपना नामांकन कराकर वहां निवास करते हैं, उनके लिए उच्च सुविधायुक्त **यशस्वी भवः पुस्तकालय** की स्थापना की जायेगी और उन पुस्तकालयों में निम्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी—

12.1— पुस्तकालय संचालन अनुदान— रू0 200/— ग्रामीण एवं रू0 300/— प्रतिमाह शहरी क्षेत्र में।

12.2— पुस्तकालय पर उपलब्ध सुविधाएं—

12.2.1— स्वच्छ पेयजल,

12.2.2— हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र,

12.2.3— विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी तात्कालीन जानकारी की पुस्तकें, ऑनलाईन वेबसाईट के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता न्यूनतम शुल्क के आधार पर। प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य कक्षाओं हेतु पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित।

12.2.4— 100 शिक्षार्थी की एक साथ बैठने हेतु कुर्सी व डेस्क की व्यवस्था,

12.2.5— 100 शिक्षार्थी—ग्रामीण एवं 200 शिक्षार्थी—शहरी क्षेत्र में उपयोग हेतु व्यवस्था,

12.2.6— पुस्तकालय का संचालन शहरी क्षेत्र में 24 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 12 घंटे होगा,

12.3.7— प्रत्येक लाभार्थी को एक पुस्तकालय सदस्यता कार्ड दिये जायेंगे, उन्हें प्रत्येक दिवस पुस्तकालय उपयोग हेतु अपना कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा,

12.3.8— प्रत्येक पुस्तकालय पर संचालन हेतु 01 पुस्तकालय व्यवस्थापक, जो कि न्यूनतम 10वीं पास होगा एवं सहायक ग्रन्थालय व्यवस्थापक(डिप्लोमा ईन लाईब्रेरी साइंस) का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

12.3.9— शिक्षार्थी सदस्यता हेतु संबंधित लाभार्थी को समिति द्वारा प्रदत्त आवेदन पत्र, अपना आधार कार्ड, शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र, एक पासपोर्ट साईज फोटो, मोबाईल नं0 देना अनिवार्य होगा।

12.3.10— उपरोक्त दिये गये सेवा कार्यों के समक्ष सेवा अनुदान राशि का विवरण अंकित किया गया हैं, उक्त सेवा अनुदान राशि में समय एवं स्थान के अनुसार परिवर्तन समय—समय पर समिति के निर्णय के अनुसार किया जायेगा।

13— प्रचार कार्यक्रम— समिति द्वारा स्थापित किये जाने वाले यशस्वी भवः श्रम केन्द्रों, पुस्तकालयों एवं अनुबंधित संस्थाओं में साईज के अनुसार अनुबंधित प्रतिष्ठानों के कार्य, योजनाओं, शैक्षणिक कार्यों एवं अन्य प्रचार योग्य सामग्री को प्रचारित किया जायेगा। प्रचार सामग्री संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा

उपलब्ध करायी जायेगी। प्रचार हेतु स्थान का आरक्षण एक माह(रू0 150/–), तीन माह(रू0 400/–), छः माह(रू0 850/–), एवं एक वर्ष (रू0 1500/–) के लिए किया जायेगा। उपरोक्त शुल्क प्रदर्शन हेतु लिखा गया हैं, शुल्क स्थान एवं मांग के अनुसार भी निर्धारित किया जायेगा। अगर संबंधित संस्थान या प्रचार करने हेतु आने वाले व्यक्ति द्वारा बैनर लगाने की मांग की जाती हैं तो उस दशा में समिति द्वारा स्थान की उपलब्धता के अनुसार संबंधित को सूचित किया जायेगा एवं उसी साईज का बैनर लगाया जायेगा।

14– **अनुदान सहायता–** समिति द्वारा समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक व बालिकाओं के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, समाजोपयोगी कार्यक्रम, जागरूकता व स्वास्थ्य शिविर संचालित करने वाली शैक्षणिक एवं समाजसेवी संस्थाओं को समिति द्वारा चयनित कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन के लिए समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के क्रम में अनुदान प्रदान किया जाता हैं। समिति द्वारा पुस्तकालय संचालन एवं कक्षा–08 तक संचालित शिक्षण संस्थानों को विशेष कर अनुदान उपलब्ध वित्त के अनुसार किया जाता हैं। समिति द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान, जो कि विभिन्न कार्यक्रमों हेतु अनुदान प्रदान किया जाता हैं, ऐसे कार्यक्रमों से संबंधित संस्थाओं को जोड़ने हेतु जानकारी देना, कागजात तैयार करने में सहायता, अनुदान हेतु आवेदन करने में सहायता, कार्यक्रम के आयोजन में सहायता, नुक्कड नाटक, मंच संचालन, प्रचार सामग्री तैयार कराने, विभिन्न कार्यक्रमों के मंचन हेतु प्रशिक्षित कलाकारों का समूह उपलब्ध कराने, राष्ट्र, धर्म, समाज आदि से संबंधित ऐतिहासिक कार्य को करने वाले महापुरूषों की जीवनी से संबंधित लघु फिल्मों का प्रसारण सहित अन्य सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियॅा करायी जायेंगी एवं कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। समिति द्वारा किसी भी ऐसे संस्थान के साथ संयुक्त रूप से कार्य किया जायेगा जो कि समिति के सदस्य हो एवं समिति के कल्याणकारी कार्यो के संचालन हेतु अनुदान प्रदान करते हो।

15– **चिकित्सा सेवा–** चिकित्सीय सुविधा अंतर्गत ऑख सहित अन्य शारीरिक जांच हेतु पंजीकृत चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों के माध्यम से शिविर का आयोजन किया जाना एवं व्यवस्थानुसार निःशुल्क व न्यूनतम मूल्य पर दवाएं, चश्मा आदि उपलब्ध कराया जाना। स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से निजी क्षेत्र के अनुबंधित चिकित्सालयों में ईलाज के दौरान अतिरिक्त छूट की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जायेगा।

16– **हरित ऊर्जा से जुडी सेवाएं–** केन्द्र सरकार द्वारा घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को महंगे विद्युत बिल से बचाव एवं पर्यावरण संरक्षा के उद्देश्य से संचालित **प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना एवं कृषकों को सिचांई सुविधा हेतु संचालित पी0एम0 कुसुम योजना** और उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अनुदान सहित सौर ऊर्जा स्थापना का कार्य कराना।

असंगठित से संगठित पंजीकरण संख्या – 03057/2025–26 श्रम का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान

कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति

(नीति आयोग, भारत सरकार की दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत)

द्वारा समस्त आयामों के कामगारों, शिक्षार्थियों एवं ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किये जाने वाले **यशस्वी भवः श्रम श्री केन्द्र, यशस्वी भवः पुस्तकालय** आवंटन हेतु

आवेदन–पत्र

किस हेतु आवेदन किया जाना हैं–

आवेदक/आवेदिका का नाम–

पिता/पति का नाम–

स्थायी पता–

मोबाईल संख्या–

ई–मेल–

शैक्षिक योग्यता–

अनुभव–

यशस्वी भवः श्रम श्री केन्द्र/पुस्तकालय स्थापित करने का पता–

निम्न दस्तावेज संलग्न करें–

1– शपथ पत्र–

2– आधार कार्ड–

3– फोटो–

4– शैक्षिक प्रमाण–पत्र–

5– स्वामित्व की प्रति/एनओसी/किरायेदारी अनुबंध–

6– कैंसल चेक की मूल कॉपी–

मैनें उपरोक्त जानकारी एवं संलग्न अभिलेख अपनी जानकारी में सही प्रस्तुत किया हैं, समिति द्वारा मेरे आवेदन में कोई भी गलत तथ्य पाये जाते हैं तो आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जाये। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक–

स्थान–

(आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर)

पता–

मोबाईल सं0–

असंगठित से संगठित
पंजीकरण संख्या – 03057/2025–26
श्रम का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान
कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति
(नीति आयोग, भारत सरकार की दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत)

द्वारा समस्त आयामों के कामगारों, शिक्षार्थियों एवं ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किये जाने वाले

यशस्वी भवः श्रम श्री केन्द्र आवंटन हेतु

स्व–शपथ पत्र

मैं आवेदक/आवेदिका शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में अंकित एवं संलग्न की गयी सभी जानकारियां सत्य हैं, मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई सूचना छुपायी नहीं गयी हैं।

2– मैं समिति के नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

3– मैं किसी भी प्रकार के अपराधिक षडयंत्र या मुकदमें या न्यायिक प्रक्रिया में वांछित या शामिल नहीं हूँ।

4– मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय संस्थान से वित्तीय लेन–देन में धोखाधडी नहीं की गयी हैं और ना ही मैं किसी धोखाधडी हुए वित्तीय लेन–देन में बतौर गवाह शामिल हूँ।

5– मेरे द्वारा अगर समिति के नियमों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की धोखाधडी, गैर अनुमति वित्तीय लेन–देन, समिति के नाम पर अवैधानिक कार्य करते हुए प्रमाणित होने की दशा में समिति द्वारा मेरे खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु समिति को पूर्ण अधिकार होगा।

उपरोक्त स्व–शपथ पत्र में दिये गये बयान मेरे द्वारा सही तरीके से पढ़ कर, समझ कर हस्ताक्षरित कर दिया गया हैं।

दिनांक–

स्थान–

(शपथी/शपथिनी का हस्ताक्षर)

पता–

मोबाईल सं0–

असंगठित से संगठित | पंजीकरण संख्या – 03057/2025–26 | श्रम का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान

कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति

(नीति आयोग, भारत सरकार की दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत)

द्वारा शिक्षा में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किये जाने वाले
यशस्वी भवः पुस्तकालय में पुस्तकालय के उपयोग हेतु सदस्यता आवेदन पत्र का प्रारूप

सदस्यता आवेदन पत्र

आवेदक का नाम–

पिता/पति का नाम–

स्थायी पता–

अस्थायी पता(पी0जी0, हास्टल या अन्य)–

मोबाईल संख्या/ई–मेल–

शैक्षिक योग्यता–

आधार कार्ड संख्या–

वर्तमान में शिक्षा ग्रहण करने वाले संस्थान का नाम(कोचिंग, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय)–

वर्तमान में शिक्षा ग्रहण करने वाले संस्थान का पता–

संलग्न किये जाने वाले अभिलेख– 1. आधार कार्ड, 2. शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र, 3. 01 पासपोर्ट साईज फोटो, 4. सदस्यता आवेदन–पत्र।

मैनें उपरोक्त जानकारी एवं संलग्न अभिलेख अपनी जानकारी में सही प्रस्तुत किया हैं, समिति द्वारा मेरे आवेदन में कोई भी गलत तथ्य पाये जाते हैं तो सदस्यता आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जाये। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक–

स्थान–

(आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर)
पता–
मोबाईल सं0–

(केवल कामगारों के लिए)

आवेदन पत्र संख्या–..............................

सेवा में,

अध्यक्ष / महामंत्री,

कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति,

पता–65 / 037, रामपाल अधिकारी मार्ग, लालकुआं वार्ड, नजदीक छितवांपुर पुलिस चौकी, लखनऊ–226001

महोदय,

कृपया मुझे कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति का सामान्य सदस्य बना लिया जाये। मैंने समिति के विधान, उद्देश्य, नियमों को समझ लिया हैं और प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं समिति के उद्देश्यों के अनुसार कार्य करूंगा। मैंने नियमानुसार निर्धारित प्रवेश / सदस्यता शुल्क जमा करके रसीद प्राप्त कर ली हैं।

1– सदस्य का नाम–...उम्र–............................

2– पिता / पति का नाम–...

3– आवासीय स्थायी पता–ग्राम / मोहल्ला–.......................................पो0–..

मकान संख्या–......................वार्ड सं0–............................विकास खण्ड / शहर –....................................

तहसील–...जिला–...पिन–.............................

3.1 आवासीय अस्थायी पता–ग्राम / मोहल्ला–......................................पो0–..

मकान संख्या–...वार्ड सं0–...

विकास खण्ड / शहर–..तहसील–...

जिला–...पिन–..

4– आधार कार्ड संख्या–...आधार लिंक्ड मोबाईल नंबर–................................

5– मासिक वेतन / आमदनी–...

6– रोजगार / स्वरोजगार का प्रकार–.......................................कार्य वर्ष...

7– बैंक खाता संख्या–..बैंक का नाम–..

आईएफएससी कोड संख्या–..शाखा का नाम–...

7– कौशल विकास का प्रशिक्षण–..

8– वैवाहिक स्थिति–...जाति–..

9– शैक्षिक योग्यता–...शारीरिक स्थिति–..

दिनांक–

जनपद–

स्वीकृतकर्ता का हस्ताक्षर– **प्रार्थी का हस्ताक्षर**

पदनाम–

(केवल शिक्षार्थियों, व्यवसायिक, शैक्षणिक संस्थान व अन्य के लिए)

आवेदन पत्र संख्या–......................

सेवा में,

अध्यक्ष / महामंत्री,

कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति,

पता–65 / 037, रामपाल अधिकारी मार्ग, लालकुआं वार्ड, नजदीक छितवांपुर पुलिस चौकी, लखनऊ।

महोदय,

कृपया मुझे कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति का सामान्य सदस्य बना लिया जाये। मैंने समिति के विधान, उद्देश्य एवं नियमों को समझ लिया हैं और प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं समिति के उद्देश्यों के अनुसार कार्य करूंगा। मैंने नियमानुसार निर्धारित प्रवेश / सदस्यता शुल्क जमा करके रसीद प्राप्त कर ली हैं।

1– सदस्य का नाम–... उम्र–................................

2– पिता / पति का नाम–..

3– आवासीय पता–ग्राम / मोहल्ला–..पो0–..

वार्ड सं0–..विकास खण्ड / शहर–..

तहसील–...जिला–..पिन–..........................

3.1 संस्थान / प्रतिष्ठान का पता–ग्राम / मोहल्ला–...पो0–................................

विकास खण्ड / नगरीय क्षेत्र–...तहसील–..

जिला–...पिन–..

3.2 कितने वर्षो से प्रतिष्ठान / संस्थान संचालित हैं–..

4– पंजीकरण संख्या–...मोबाईल नंबर–..

5– कुल छात्र / कर्मियों की संख्या–..

6– संस्थान / प्रतिष्ठान का बैंक खाता संख्या–..............................बैंक का नाम–...............................

आईएफएससी कोड संख्या–......................................शाखा का नाम–...

7– कौशल विकास का प्रशिक्षण–..

8– संस्थान / प्रतिष्ठान की कार्य प्रकृति / स्तर–...

9– किस श्रेणी के लाभ हेतु अनुमन्य हैं(समिति द्वारा भरा जायेगा)–...

दिनांक–

जनपद–

स्वीकृतकर्ता का हस्ताक्षर–

आवेदक / आवेदिका का हस्ताक्षर

<u>कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति की सदस्यता रसीद</u>

सदस्यता संख्या–..सदस्यता दिनांक...

सदस्यता की श्रेणी– कामगार/शिक्षार्थी/व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रबंधक/शैक्षिक संस्थान संचालक/गैर सरकारी संस्था प्रमुख

सदस्य का नाम–...

सदस्य के पिता/पति का नाम–..

पता–...

मोबाईल संख्या–...

प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

<u>कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति की अनुदान प्राप्ति रसीद</u>

<u>पता–</u>

तिथि–

श्री/श्रीमती.. मोबाईल सं0–.. द्वारा कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति, लखनऊ की संचालित योजनाओं में संचालन सहयोग/समिति द्वारा जारी सेवाओं का लाभ लेने हेतु/सदस्यता ग्रहण करने हेतु देय अनुदान के रूप में रू0....................................../– धन्यवाद कृतज्ञता के साथ प्राप्त किया। यह भुगतान नकद/ऑनलाईन(स्थानांतरण संख्या–........................) माध्यम से किया गया।

रू0.. प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

यशस्वी भवः श्रम श्री केन्द्र एवं पुस्ताकालय का प्रतिकात्मक स्वरूप

असंगठित से संगठित

पंजीकरण संख्या – 03057/2025–26

श्रम का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान

कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति

(नीति आयोग, भारत सरकार की दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत)

यशस्वी भवः श्रम श्री केन्द्र

यशस्वी भवः पुस्तकालय

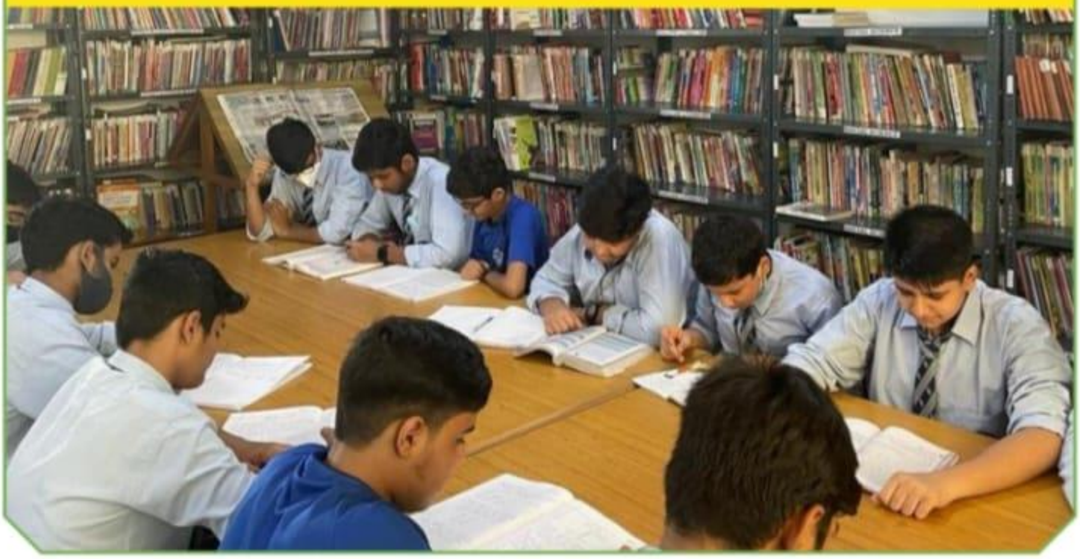

कृपया सम्पर्क करें

सम्पर्क :– 7311169553, ई–मेल– samajiksurkshasamiti@gmail.com
Website : www.ksksociety.com